

कानून संख्या 12015/43/95-राजभाषा (ताका), दिनांक 12.3.1996

विषय: कांच्चूटर पर हिंदी में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण।

राजभाषा विभाग प्रयास करता रहा है कि कांच्चूटर पर हिंदी में कार्य किया जाये। इसके लिए आवश्यक है कि इस विषय में प्रशिक्षण की मुखिधाएं भी उपलब्ध हों। राजभाषा विभाग स्वयं भी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित कर रहा है।

देश की संपर्क भाषा हिंदी है। बहुसंख्यक जन की मातृभाषा भी हिन्दी है। इसलिए कांच्चूटर का ज्ञान आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि “कांच्चूटर पर हिंदी में कार्य करने की मुखिधाओं” के विषय में प्रशिक्षण दिया जाये।

यदि आपका विभाग कांच्चूटर पर प्रशिक्षण दे रहा है अथवा अन्य संस्थाओं/विभागों को कांच्चूटर पर प्रशिक्षण के लिए सहायता एवं प्रोत्साहन देता है, तो यह आवश्यक है कि ऐसे प्रशिक्षण हिंदी में भी दिये जायें। अब डाटा प्रोसेसिंग, बड़े प्रोसेसिंग, डी-टी-पी के विषय में कांच्चूटर पर हिंदी में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

इसमें आपका सहयोग राजभाषा नियमों के अनुपालन में भी सहायक होगा। कृपया इस विषय में को गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करायें।